न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः जे0पी0 यादव, एच.जे.एस.

UPKS010020712026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 323/2026

रामबालक पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम कड़ाधाम, थाना सैनी, वर्तमान थाना कड़ाधाम, जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0।

.......................प्राथी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0सरकार ....विपक्षी।

मु.अ.सं.–135/2010
धारा–6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 व
धारा–419, 420 भा.दं.स
थाना–सैनी
जनपद–कौशाम्बी।
मु0नं0–158/2011

प्रार्थी की ओर से................................श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट।
राज्य की ओर से..............................श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी, डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

05.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त रामबालक, जो मु0अ0सं0–135/2010, धारा–6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 1998 वधारा–419, 420 भा.दं.स, थाना–सैनी, जनपद–कौशाम्बी, मु0नं0–158/2011, के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता आर्यन कुशवाहा ने शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया है प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

2. अभियोजन के अनुसार यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 08.03.2010 को प्रथम पाली में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न करायी जा रही हाईस्कूल हिन्दी द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में परीक्षाकेन्द्र स्व० रघुराज सिंह मोहन लाल उ०मा०वि० अमिरतापुर कनवार कौशाम्बी का निरीक्षण प्रातः 7:30 बजे से 9:00 बजे के मध्य किया गया। निरीक्षण में परीक्षार्थी अनुक्रमांक 1977948 सतेन्द्र यादव पुत्र सुरेश कुमार यादव के स्थान पर जयप्रकाश पुत्र अमरजीत सिंह निवासी मण्डी समिति के पास खागा जनपद फतेहपुर तथा बिना प्रवेश पत्र के कपूर सिंह पुत्र रामपाल सिंह के स्थान पर भानुप्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम व पोस्ट बीरा, थाना कमासिन, जनपद बांदा व बिना प्रवेश पुत्र के परीक्षार्थी अनुक्रमांक 1977721 गोविन्द कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी व थाना बबेरू जनपद बांदा जो लिखना–पढ़ना तक नहीं जानता परीक्षा देते पकड़ा गया है इनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह नामजद अभियुक्त नहीं है। वह विद्यालय में कक्ष निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसने कोई जालसाजी अथवा कूटरचना नहीं किया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम पाली में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न करायी जा रही हाईस्कूल हिन्दी द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र स्व० रघुराज सिंह मोहन लाल उ०मा०वि० अमिरतापुर कनवार कौशाम्बी पर नकल करवाया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का भी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम पाली में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न करायी जा रही हाईस्कूल हिन्दी द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र स्व० रघुराज सिंह मोहन लाल उ०मा०वि० अमिरतापुर कनवार कौशाम्बी पर नकल करवाया जाना कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण बहुत पुराना है। प्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस दी जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त 02.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अब कोई विवेचना शेष नहीं है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, प्रार्थी/अभियुक्त रामबालक की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानते, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए, दाखिल किए जाऐंगे।

2. प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। पुनः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तरह का अपराध कारित करने पर अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकती है।

(जे0पी0 यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP6551
दिनांक:05.06.2026

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.06 10:11:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court